उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-7/2018/2098/एक-1-2018-रा0-1

लखनऊ: दिनॉक: 11 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-1491/भू0व्यव-2018 दिनांक-07/04/2018 के आलोक में व व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, वर्ष, 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम काजीपुर, तहसील-सदर जनपद-गोरखपुर स्थित भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-6(2) पाठशाला के रूप में दर्ज आराजी संख्या-453 कुल रकबा 0.854हे0 भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण कर ''राजकीय आई0टी0आई0, गोरखपुर'' की स्थापना हेतु प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण के पश्चात प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(2)- प्रस्तावित भूमि का उपयोग ''राजकीय आई0टी0आई0, गोरखपुर'' की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

(3)- निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

(4)- ''राजकीय आई0टी0आई0, गोरखपुर'' की स्थापना हेतु उक्त भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की जायेगी।

(5)- उपर्युक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 2098(1)/एक-1-2018-रा0-1 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर को उनके पत्र संख्या-1491/भू0व्यव-2018 दिनांक-07/04/2018 के क्रम में।

5- निदेशक राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 05 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव